

परिपत्रक रूप में नाम धारिता

CINo 92/2017

08/12/2021

पर्यावली जेश दुई वकील वादी उप-
नही। वकील वादी को रुक-रुक कर
5:30 P.M. तक आवाज लगवाई गई। वकील
वादी या उनका कोई प्रतिनिधि उप-नही

उक्त वादी का वाद अदम
जैरकी अदम हाजरी में खारिज किया जाकर
पर्यावली जेश दुई शुमार लेकर नामवर से
काम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

